उद्योग

9
अध्याय

चालू वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों (अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर) के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि अधिक थी। विनिर्माण क्षेत्र ने विशेष रूप से सराहनीय मजबूती दर्शायी, इन दो तिमाहियों के दौरान वृद्धि दर क्रमश: 12.6 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत रही। इसके बाद औद्योगिक उत्पाद वृद्धि सामान्य हो गयी। चूंकि वैश्विक विनिर्माण 2010 के पूर्वार्द्ध तक संकट के बाद बढ़ता रहा था और उसके बाद सामान्य हो गया था। अत: यह वैश्विक रूझान के कारण था। स्थिति सुधरने के बाद भारत की औद्योगिक उत्पादकता विकास मुख्य रूप से ऑटोमोटिव जैसे कुछ खास क्षेत्रों से ही चालित होता रहा है जिसमें सूती वस्त्र, चमड़ा, खाद्य-उत्पाद तथा धातु-उत्पाद जैसे क्षेत्रों में हुआ पुनरोद्धार भी शामिल है। कुछ क्षेत्रों ने माह-दर-माह अत्यधिक उत्पाद अस्थिरता प्रदर्शित की है। घरेलू मांग द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्र पर अनुकूल मानसून का प्रभाव व्यापक नहीं रहा है तथा विशेष रूप से उपभोक्ता गैर-टिकाऊ हिस्से पर यह अभी तक परिलक्षित नहीं किया जा सका है, किंतु आशा है कि इस राजकोषीय वर्ष में यह नजर आएगा। दिसम्बर तथा जनवरी के महीनों में उच्चतर मूल्य प्रभाव औद्योगिक विकास दर को प्रभावित कर सकता है और तद्नुसार चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान को सामान्य बना सकता है।

9.2 औद्योगिक-क्षेत्र जीडीपी, जिसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत के अलावा निर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) शामिल है, ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित विकास दर से तुलनीय तिमाही विकास दर दर्शायी है। चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के आईआईपी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इसके अंतर्गत कवर किए गए सभी बड़े क्षेत्रों में अनुसीमन स्थापित है। चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में विनिर्माण विकास दर 5.1 प्रतिशत तक कम हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान प्राप्त 16.8 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि की तुलना में यह अधिक सामान्य है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत, वृद्धि का मुख्य चालक पूंजीगत वस्तुओं का हिस्सा रहा है, इसने अधिकतम अस्थिरता दर्शायी है जैसा कि इसने 2009-10 की पहली तिमाही में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान 45.7 प्रतिशत तक बढ़ गई और तब से दो अंकों में बनी रही और चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान यह संतुलित होकर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। (सारणी 9.1)

9.3 अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के दौरान आईआईपी आधारित संचयी औद्योगिक उत्पाद विकास दर पिछले वर्ष के तद्नुरूप महीनों में विद्यमान 8.6 प्रतिशत के स्तर पर ही बनी रही (चित्र 9.1) घटकवार संचयी वृद्धि संबंधी आंकड़े, तथापि, काफी परिवर्तन दर्शाते हैं। खनन तथा विद्युत क्षेत्र में विकास दर तुलनात्मक रूप से कम रही है। इसी प्रकार, उपयोग-आधारित वर्गीकरण के आधार पर मध्यवर्ती तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि हुई थी।

9.4 बुनियादी वस्तुओं तथा गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का हिस्सा, जो आईआईपी का लगभग 59 प्रतिशत है, के घटिया प्रदर्शन के कारण औद्योगिक क्षेत्र के एक बड़े अंश ने समग्र आईआईपी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। वृद्धि मुख्यत: पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोक्ता टिकाऊ हिस्सों से संचालित हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का भारित योगदान आईआईपी में इनके 9.26 प्रतिशत तथा 5.37 प्रतिशत भार के मुकाबले क्रमश:

सारणी 9.1 : आई.आई.पी. और इसके प्रमुख घटकों में वृद्धि

(प्रतिशत)

अवधि	खनन	विनिर्माण	विद्युत	बुनियादी वस्तुएं	पूंजीगत वस्तुएं	मध्यवर्ती वस्तुए	उपभोक्ता वस्तुएं	सामान्य
पहली तिमाही 2008-09	4.0	6.1	2.0	3.3	9.2	3.0	8.7	5.6
दूसरी तिमाही 2008-09	3.8	5.6	3.2	4.9	15.2	-1.3	7.0	5.2
तीसरी तिमाही 2008-09	2.0	1.3	2.9	2.5	5.7	-5.9	4.8	1.5
चौथी तिमाही 2008-09	0.9	0.8	3.0	0.4	4.0	-3.0	3.2	1.0
पहली तिमाही 2009-10	6.8	3.6	5.8	6.3	3.5	7.0	-0.3	4.0
दूसरी तिमाही 2009-10	9.0	8.7	7.4	5.9	6.7	11.6	9.7	8.6
तीसरी तिमाही 2009-10	10.3	14.4	3.8	6.1	22.7	19.4	10.6	13.3
चौथी तिमाही 2009-10	12.9	16.8	7.1	10.3	45.7	17.0	5.2	15.8
पहली तिमाही 2010-11	10.2	12.6	5.6	6.8	31.9	10.5	9.2	11.9
दूसरी तिमाही 2010-11	7.0	9.9	2.1	4.7	18.4	10.8	7.0	9.1
तीसरी तिमाही 2010-11	5.8	5.1	6.5	6.8	3.8	6.5	3.7	5.3

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

चित्र 9.1 आई.आई.पी. और इसके प्रमुख घटकों में वृद्धि

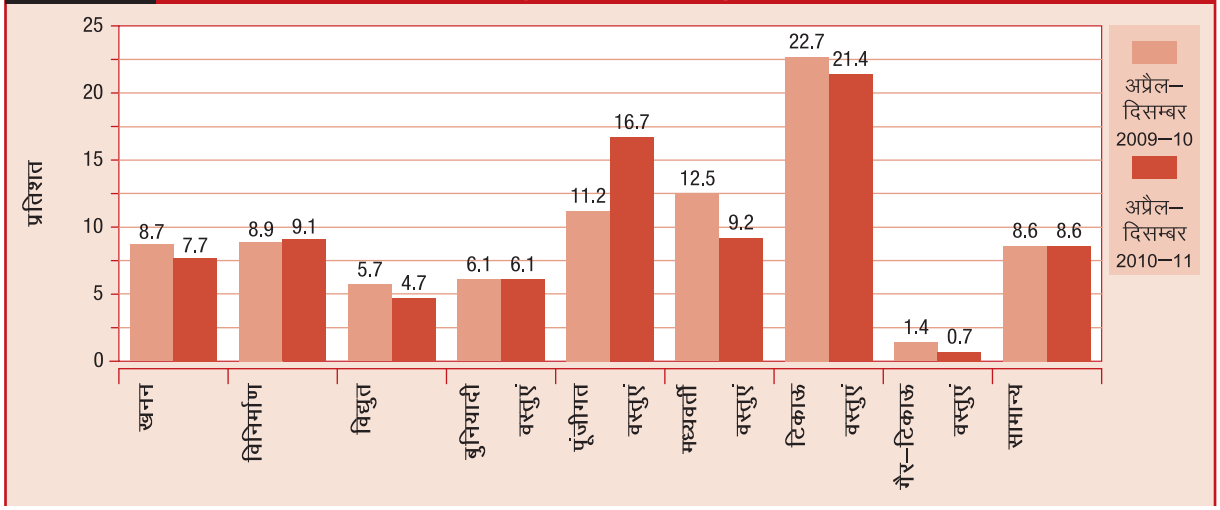

लगभग 29 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत था। मूल वस्तुओं के हिस्सों, जिसका आईआईपी में 35.57 प्रतिशत भार है, ने अप्रैल-दिसम्बर, 2010 के दौरान केवल 20 प्रतिशत योगदान दिया है। (सारणी 9.2)

9.5 विनिर्माण क्षेत्र, जिसका आईआईपी में 79.36 प्रतिात हिस्सा है, इसका मुख्य संचालक है। विनिर्माण उत्पाद वृद्धि अप्रैल 2010 में 18 प्रतिशत के शीर्ष से दिसम्बर, 2010 में 1.0 प्रतिशत तक नीचे चली गई, जिसके परिणामस्वरूप आईआईपी वृद्धि अप्रैल 2010 में 16.6 प्रतिशत से कम होकर दिसम्बर, 2010 में 1.6 प्रतिशत तक पहुंच गई। तथापि, एक बड़े हिस्से में यह कमी मूल प्रभाव द्वारा संचालित हुई। व्यापक उतार-चढ़ाव के बावजूद, अप्रैल-दिसम्बर 2010 संचयी विकास दर विनिर्माण क्षेत्र के लिए 9.1 प्रतिशत मजबूती पर तथा आईआईपी के लिए 8.6 प्रतिशत मजबूती पर रही। वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के लिए महीना-वार

सारणी 9.2 : क्षेत्रवार भारित योगदान

	भार योगदान		
	भार	अप्रैल-दिस. 2009	अप्रैल-दिस. 2010
क्षेत्र			
खनन	10.47	7	6
विनिर्माण	79.36	88	90
विद्युत	10.17	5	4
सामान्य आईआईपी	100.00	100	100
उपयोगिता आधारित			
बुनियादी वस्तुएं	35.57	20	20
पूंजीगत वस्तुएं	9.26	19	29
मध्यवर्ती वस्तुएं	26.51	37	28
उपभोक्ता वस्तुएं (कुल)	28.67	24	23
उपभोक्ता टिकाऊ	5.37	20	21
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ	23.3	4	2
सामान्य आईआईपी	100..00	100	100

स्रोत : सीएसओ

चित्र 9.2 चौथी तिमाही 2010–11 के लिए आई.आई.पी. वृद्धि का अनुमान

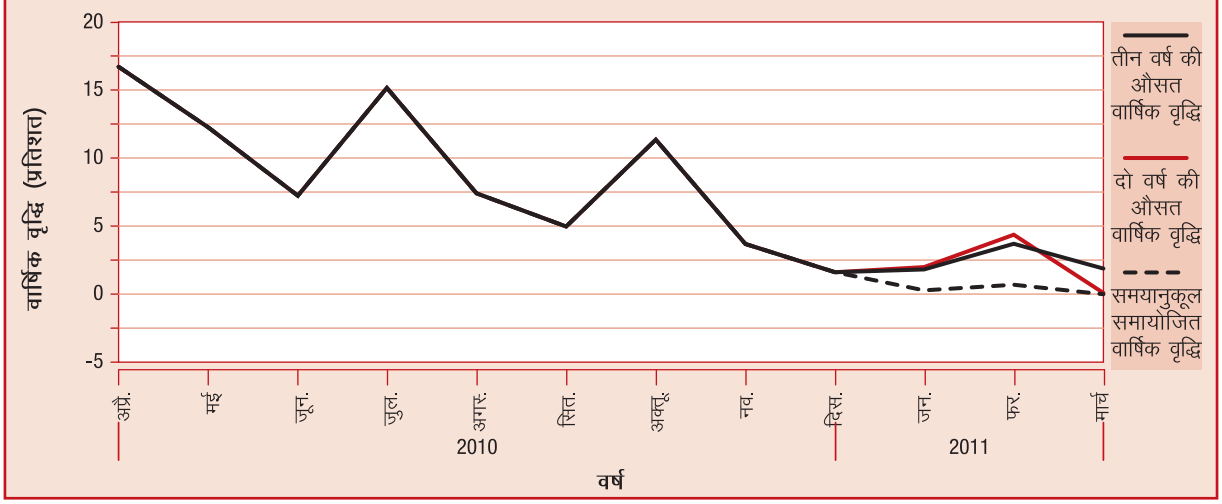

वार्षिक विकास दर एकसमान रहने की संभावना है और तद्नुसार वर्ष के लिए संचयी विकास दर आगे तक सामान्य रहने की आशा है। (चित्र 9.2)

9.6 अप्रैल-दिसम्बर 2010 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कवर सत्रह औद्योगिक समूहों में से नौ की संचयी विकास दर 10 प्रतिशत तथा तीन की संचयी विकास दर 5 प्रतिशत से अधिक थी। केवल पांच समूहों की संचयी विकास दर 5 प्रतिशत से कम अथवा ऋणात्मक थी। बुनियादी रसायन तथा रासायनिक उत्पादों के घटिया प्रदर्शन, जिसमें 14 प्रतिशत का आईआईपी भार शामिल है, ने आईआईपी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। (सारणी 9.3)

9.7 आईआईपी जिसका आधार 1993-94 है, पुराना हो गया है। अत: यह शामिल किए जाने वाले उत्पादों तथा उत्पादनकारी इकाईयों के कवरेज दोनों के संदर्भ में विनिर्माण में संरचनात्मक परिवर्तन को पकड़ने में सक्षम नहीं रहा है। आईआईपी में सतत अधोमुखी झुकाव रहा है और यह स्पष्ट हो जाता है क्योंकि

सारणी 9.3 : उद्योग उत्पाद समूहों का विकास (दो अंकों के स्तर पर)
ओद्यौगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार 1993-94=100)

उद्योग समूह	भार	2008-09	2009-10	अप्रैल-दिस. 2009-10	अप्रैल-दिस. (2010-11)
विनिर्माण	793.6	3.3	11	8.9	9.1
अप्रैल-दिसम्बर, 2010-11 के दौरान 10 प्रतिशत से ज्यादा विकास दर वाले औद्योगिक समूह					
परिवहन उपस्कर	39.8	2.4	26.9	18.5	24.5
अन्य विनिर्माण उद्योग	25.6	3.5	9.2	6.4	22.1
धात्विक उत्पाद	28.1	0.5	11.5	0.2	21.9
मशीनरी और उपस्कर	95.7	9	20.6	15.7	12.7
खाद्य उत्पाद	90.8	-9.7	-1.5	-6.9	12.4
चमड़ा उत्पाद	11.4	-6.9	2.5	1.1	11.4
रबड़ प्लास्टिक एवं पैट्रोलियम	57.3	-1.5	15.4	14.5	11
जूट वस्त्र	5.9	-10	-24.4	-14.1	10.8
सूती वस्त्र	55.2	-1.9	5.5	4.1	10.2
अप्रैल-दिसम्बर, 2010-11 के दौरान 10 प्रतिशत से ज्यादा विकास दर वाले औद्योगिक समूह					
प्रमुख घातुएं	74.5	4	6.5	4.6	8.4
कागज उत्पाद	26.5	1.9	3.9	2.1	8
गैर धात्विक खनिज उत्पाद	44	1.3	9.5	8.1	6.5
वस्त्र उत्पाद	25.4	5.8	8.4	10.6	3.7
मूल रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	140	5.5	8.8	11.3	2
अप्रैल-दिसम्बर, 2010-11 के दौरान ऋणात्मक विकास दर वाले औद्योगिक समूह					
ऊन, रेशम तथा मानवर्निमित वस्त्र	22.6	0	8.1	11.8	-0.6
पेयपदार्थ तथा तम्बाकू	23.8	16.2	-0.2	-1	-3.1
काष्ठ उत्पाद	27	-9.6	9.7	8.6	-13.8

स्रोत : सीएसओ

सारणी 9.4 : एएसआई विनिर्माण (1999-2000 मूल्य) तथा आईआईपी विनिर्माण की विकास दर

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
एएसआई उत्पाद	22.01	9.26	19.72	10.17	8.90
एएसआई सकल मूल्य वर्धन	17.36	12.79	19.69	14.83	2.80
आईआईपी विनिर्माण	9.2	8.9	12.9	9.2	3.3
अन्तर	8.2	3.3	6.8	5.6	-0.5

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)

आधार पुराना हो गया है। आईआईपी तथा उद्योगों की वार्षिक समीक्षा (एएसआई) के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि आईआईपी का अधोमुखी झुकाव पर्याप्त रूप से बढ़ा है और इससे जीडीपी वृद्धि और इस वृद्धि में विनिर्माण के अंश पर प्रभाव पड़ेगा। पिछले पांच वर्षों के लिए एएसआई तथा आईआईपी पर आधारित पंजीकृत विनिर्माण में विकास का अनुमान इस लगातार झुकाव के बने रहने को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। (सारणी 9.4)

प्रत्येक मद के स्तर पर आईआईपी में अस्थिरता

9.8 चूंकि किसी मद का भार (4-अंक एनआईसी) मोटे तौर पर आईआईपी में अपनी तुलनात्मक महत्ता को दर्शाता है, सामान्यतया यह आशा की जाती है कि किसी दिए हुए मासिक आईआईपी में मद का योगदान बास्केट में इसके निर्धारित भार के निकट होगा। अन्य शब्दों में, आईआईपी में आधार वर्ष के निर्धारित भार के अतिरिक्त कोई अत्यधिक योगदान आईआईपी के विकास को प्रभावित करेगा। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीआईपीपी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च मानक विचलन के साथ अत्यधिक अस्थिर मदों का पता लगाने के लिए एक कार्रवाई की है।

9.9 कार्रवाई के दौरान आईआईपी में 8.2 प्रतिशत के 26 अत्यधिक अस्थिर मदों का पता लगाया है। इन 26 अस्थिर मदों के अंतर्गत पांच मदें 1.8 प्रतिशत भार वाली हैं जो बहुत अधिक मानक विचलन को दर्शाती हैं नामत: एम्पीसीलिन (200), अलार्म टाइमपीस (875), अगरबत्ती (409), वैल/ऑफशोर प्लेटफॉर्म (13,475) तथा इंसुलेटिड केबल और तारें (204)। इन मदों ने आईआईपी में व्यापक उतार-चढ़ाव उत्पन्न किया है। जरूरत इस बात की है कि अद्यतन आंकड़ों पर आधारित एक-नया आधार तथा आईआईपी सिरीज़ तैयार की जाए।

संगठित विनिर्माण-क्षेत्र में संरचनागत परिवर्तन

9.10 सामान्य धारणा है कि भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में, रोजगार की विकास दर में ज्यादा वृद्धि नहीं रही है। उत्पादन संबंधी बाजार सुधारों जिन्होंने क्षमता विनियमों को समाप्त कर दिया है, तथा भारतीय उद्योग में किराये की मांग से यह आशा की गई थी कि वे उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अधिक खपत को बल प्रदान करेंगे। एएसआई के आंकड़े जो संगठित क्षेत्र में निर्धारित सर्वाधिक व्यापक आंकड़े हैं, यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में लगातार वृद्धि के बाद, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ने 1997-98 से अवमंदन को दर्शाया है। यह कमी 2003-2004 तक चलती रही। 2004-05 से संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में लगातार वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2008-09 में भी, अद्यतन वर्ष जिसके लिए एएसआई डाटा उपलब्ध है, नियोजित व्यक्तियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रतीत होती है। यह उपाख्यानात्मक साक्ष्य तथा इस अवधि के दौरान किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के विरुद्ध है, जिससे संगठित विनिर्माण क्षेत्र में बेरोजगारी में कमी प्रदर्शित होती है। जबकि इस अवधि के दौरान श्रम की प्रति इकाई में नियोजित पूंजी तथा श्रम के प्रति इकाई उत्पाद में वृद्धि हुई है, श्रम अवशोषण की विकास दर में स्वत: तीव्र वृद्धि देखी गई है। (चित्र 9.3)

चित्र 9.3 संगठित विनिर्माण क्षेत्र में संरचनागत परिवर्तन

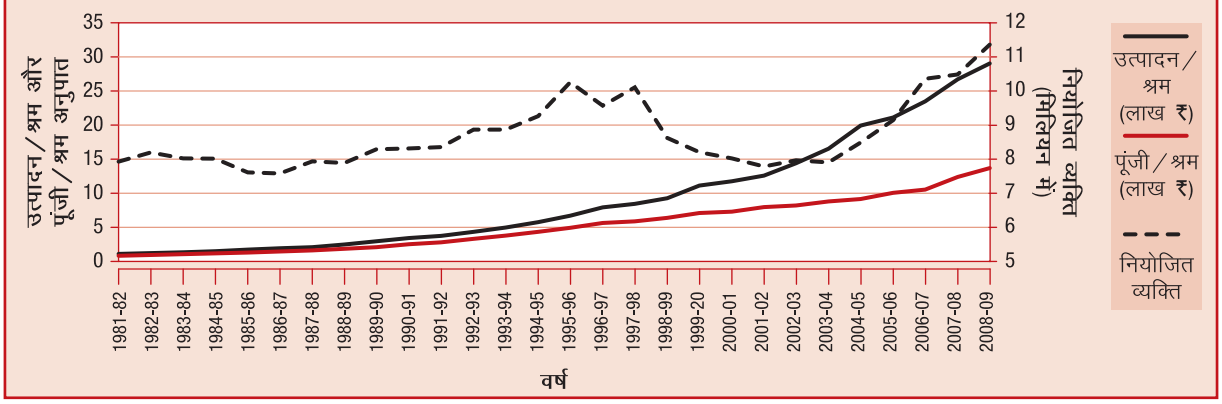

कार्पोरेट क्षेत्र का निष्पादन

9.11 सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों के विश्लेषण के आधार पर यह देखने में आया है कि 2009-10 के उत्तरार्ध (अक्तूबर-मार्च) में राजस्व-वृद्धि मांग और विश्वास की बेहतर होती स्थितियों के बीच संकट पूर्व के स्तरों पर पहुंच गई। परिणामस्वरूप, इस अवधि में कच्चे माल की खपत तथा विद्युत एवं ईंधन व्ययों में गिरावट का रुख रहा। 2008-09 के पूर्वार्ध में संचित व्यापारगत माल बाद की तिमाहियों में समाप्त हो गया जो 2009-10 के उत्तरार्ध और 2010-11 की पहली तिमाही में कारोबार की बढ़ चुकी मांग में हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में भंडार के स्तरों में समायोजन को प्रतिबंबित करता है, जो मांग में सुधार का संकेत देता है। गैर-प्रमुख केंद्रीय भिन्न ''अन्य आय'' जिसने निवल लाभ में उल्लेखनीय योगदान दिया था, 2009-10 की दूसरी और तीसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर) के दौरान अपेक्षाकृत निम्न स्तरों पर देखी गई तथा 2010-11 की पहली तिमाही में और अधिक संकुचित हो गई। तथापि, दूसरी तिमाही में यह बढ़कर 69.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई है।

9.12 निवल लाभों में होने वाली वृद्धि में गिरावट का रूझान रहा है और 2008-09 की तीसरी और चौथी तिमाही में यह काफी कम रही है। लेकिन अनुवर्ती तिमाहियों में, निम्न आधार और मांग में रफ्तार बढ़ने से कार्पोरेट क्षेत्र की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन 2010-11 में पूर्वार्ध के परिणामों में उच्च वस्तु मूल्यों तथा स्टाक लागत एवं अधिक ब्याज-बहिर्वाह के कारण निवल लाभ पर दबाव पड़ता दिखाई देता है। बिक्री के मुकाबले कुल व्यय में अधिक तेज़ी से वृद्धि हो जाने के चलते हाल के महीनों में लाभ के मार्जिन में कमी आई है (सारणी 9.5)।

क्षेत्रों के अनुसार औद्योगिक विकास

वस्त्र

9.13 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में चार वस्त्र समूह शामिल हैं नामश: सूती वस्त्र, ऊन, रेशम और मानव-निर्मित रेशा वस्त्र, जूट एवं अन्य वानस्पतिक रेशा वस्त्र (सूती को छोड़कर) और वस्त्र उत्पाद (परिधान सहित)। सूती वस्त्र के उत्पादन में अप्रैल-नवंबर 2009-10 की 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल-नवंबर 2010-11 के दौरान 10.1 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई। जूट वस्त्र के उत्पादन में भी सुधार हुआ है और इसमें अप्रैल-नवंबर 2009-10 की 16.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वस्त्र उत्पादन में अप्रैल-नवंबर 2010-11 के दौरान 5.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि पिछले

सारणी 9.5 : निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड विनिर्माण कम्पनियों की बिक्री और व्यय में वर्षानुवर्ष वृद्धि

मद	2008-09				2009-10				2010-11	
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही
कम्पनियों की संख्या	1926	1837	1849	1901	1885	1876	1901	1912	1900	1933
	वृद्धि दरें (प्रतिशत)									
बिक्री	30.1	32.1	6.3	0.1	-2.7	-0.4	28.7	34.9	28.8	21.2
बिक्री माल में परिवर्तन	131.9	230.1	a	a	-79.5	0.1	b	b	354	-46.5
व्यय	34.3	38.8	9.3	-2.9	-6.6	-3.4	26.6	37.5	34.5	22.5
कच्चा माल	38.1	44	4	-9.6	-14.5	-4.7	35.5	46.6	40.6	21.9
स्टाफ लागत	19.3	17	12.4	7.9	9.9	9.1	12	18.1	16.9	20.4
विद्युत एवं ईंधन	28.8	37.8	21.7	3.1	-1.4	-5.7	1.7	10.6	13.1	15.5
अन्य स्रोत	-9.5	2.7	14.9	26.8	62.7	10	12.3	42.4	-28.5	69.5
ब्याज लागत	52	69.9	60.5	43.3	8.3	-2.1	-5	1.1	10.9	7.8
कर के पश्चात लाभ	6.9	-4.2	-66.4	-28.3	3.2	17.6	178	69.4	8.2	10.9
	अनुपात (प्रतिशत)									
बिक्री की तुलना में पीएटी	8.7	7.6	3.6	6.7	9.2	9	8	8.6	8	8.1

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्पोरेट निष्पादन संबंधी अध्ययन जो निजी कार्पोरेट क्षेत्र की चयनित कंपनियों के संक्षिप्त परिणामों पर आधारित हैं।
टिप्पणी : @ न्यूमरेटर ऋणात्मक है $ डिनोमिनेटर ऋणात्मक है।

सारणी 9.6 : कपड़े का उत्पादन (मिलियन वर्गमीटर में)

क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अ)	अप्रैल-अक्तूबर 2009-10	अप्रैल-अक्तूबर 2010-11 (अ)
मिल क्षेत्र	1746	1781	1796	1961	1097	1130
	-5.40%	-2.00%	-0.80%	-9.20%	-3.00%	
हथकरघा	6536	6947	6677	6769	3956	3770
	-7.00%	-6.30%	-3.90%	-1.40%	-1.70%	
बिजली करघा	32,879	34,725	33,648	36,644	21699	22067
	-7.40%	-5.60%	-3.10%	-8.90%	-1.70%	
होजरी	11,504	11,804	12,077	13,623	7941	8362
	-10.40%	-2.60%	-2.30%	-12.80%	-5.30%	
अन्य	724	768	768	814	448	476
	-0.059	-6.10%	0.00%	-5.70%	-6.30%	
कुल कपड़ा उत्पादन	53,389	56,025	54,966	59,809	35,141	35,805
	-7.70%	-4.90%	-0.019	-8.80%	-1.90%	

स्रोत : कपड़ा आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई
टिप्पणी : अ. अनन्तिम

वर्ष के तदनुरूप महीनों में यह वृद्धि 3.9 प्रतिशत थी। तथापि, वस्त्रोद्योग के ऊन, रेशम और मानव-निर्मित रेशा खण्ड में अप्रैल-नवंबर 2009-10 के दौरान हुई 13 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अप्रैल-नवंबर 2010 के दौरान गिरकर मात्र 0.1 प्रतिशत रह गई।

9.14 समग्र तौर पर वस्त्रोद्योग उत्पादन में अप्रैल-अक्तूबर 2010-11 के दौरान 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2009-10 के दौरान हुई 8.8 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में यह मामूली वृद्धि रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्रोद्योग/कपड़ों में गिरावट का कारण मिल, विद्युत करघा और हौजरी क्षेत्र के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि दरों का रहना है। (सारणी 9.6)।

9.15 विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में मंदी के बाद यद्यपि वस्त्रोद्योग क्षेत्र ने गति पकड़ी है लेकिन भारतीय वस्त्रोद्योग विश्व के वस्त्रोद्योग निर्यात के साथ-साथ वृद्धि दर के लिहाज से चीन की अपेक्षा काफी पीछे बना रहा। वर्ष 2009 के दौरान, विश्व वस्त्र निर्यात में चीन के 28.3 प्रतिशत हिस्से के मुकाबले भारत का हिस्सा मात्र 4.3 प्रतिशत था। परिधान निर्यातों में, भारत के 3.6 प्रतिशत हिस्से की तुलना में चीन का हिस्सा 30.7 प्रतिशत था। भारतीय वस्त्र निर्यातों में 2008-09 के दौरान हुई 5.0 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2009-10 के दौरान 6.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-सितंबर 2010 के संबंध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वस्त्रों एवं परिधान निर्यात 11.27 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के रहे थे और इस प्रकार अप्रैल-सितंबर 2009 में किए गए 10.11 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यातों के मुकाबले 11.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

रसायन, पेट्रो रसायन और उर्वरक

रसायन

9.16 प्रमुख रसायन डाउनस्ट्रीम रसायनों में रूपांतरित होने के लिए प्रसंस्करण के अनेक चरणों से गुजरते हैं। ये प्रसंस्करित रसायन कृषि और उद्योगों में सहायक सामग्री जैसे एडहीसिव, अप्रसंस्करित प्लास्टिक, रंग और उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। रसायनों को उपभोक्ताओं द्वारा भेषजों, प्रसाधनों, घरेलू उत्पादों, पेंट इत्यादि के तौर पर भी सीधे प्रयोग में लाया जाता है। पिछले दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में रसायनों के उत्पादन का रुझान सारणी 9.7 में दिया गया है। अप्रैल-नवंबर 2010-11 के दौरान रंग एवं रंग-सामग्री उत्पादन में 18.52 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई।

पेट्रो-रसायन

9.17 पेट्रो-रसायनों में कृत्रिम रेशे, पॉलिमर, इलास्टोमर, कृत्रिम डिटर्जेंट और परफार्मेंस प्लास्टिक के साथ-साथ उनकी मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे कृत्रिम रेशा मध्यवर्ती वस्तुएं, कृत्रिम डिटर्जेंट मध्यवर्ती वस्तुएं, ऑलफिन और एरोमैटिक शामिल हैं। पेट्रो-रसायनों के लिए फीडस्टाक और ईंधन के मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस और नाफ्था हैं। पेट्रो-रसायनों उत्पादों में रोजमर्रा इस्तेमाल की समस्त वस्तुएं जैसे वस्त्र, आवास, निर्माण, फरनीचर, ऑटोमोबाइल, घरेलू मदें, खिलौने, कृषि, बागवानी, सिंचाई और पैकेजिंग से लेकर चिकित्सीय उपकरण शामिल हैं।

9.18 2007-08 से प्रमुख पेट्रो-रसायनों का बुनियादी रूप में उत्पादन और वृद्धि दरें सारणी 9.8 में दिखाई गई हैं। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पेट्रो-रसायन उत्पादन में अब तक पॉलिमर का

सारणी 9.7 : प्रमुख पेट्रो-रसायनों का उत्पादन

(000' मी॰ टन में)

वर्ष	क्षार रसायन	अन्य अकार्बनिक रसायन	कार्बनिक रसायन	कीटनाशी (तक.)	रंग एवं रंग सामग्री	कुल मुख्य रसायन
2007-08	5443	609	1552	83	44	7731
2008-09	5442	513	1254	85	32	7326
2009-10	5602	518	1280	82	42	7524
अप्रैल-नवम्बर 2009	3659	341	846	60	27	4933
अप्रैल-नवम्बर 2010	3876	365	867	56	32	5196
वृद्धि दर	5.93	7.04	2.48	-6.67	18.52	5.33

स्रोत : रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

सारणी 9.8 : प्रमुख पेट्रो रसायनों का उत्पादन

(000' मी. टन)

वर्ष	सिंथेटिक फाइबर	पालीमर्स	इलास्टोमर्स	सिंथेटिक डिटर्जेंट मध्यवर्ती वस्तुएं	परफोर्मेंस प्लास्टिक	कुल प्रमुख पेट्रो रसायन
2007-08	2524	5304	105	585	157	8675
2008-09	2343	5060	96	552	141	8192
2009-10	2601	4791	106	618	172	8287
अप्रैल-नवम्बर 2009	1727	3152	70	406	117	5472
अप्रैल-नवम्बर 2010	1824	3450	65	422	124	5915
वृद्धि दर	7.35	9.45	-7.14	3.94	5.98	8.17

स्रोत : रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

सर्वाधिक हिस्सा है और 2009-10 में यह हिस्सा 58 प्रतिशत था।अप्रैल-नवम्बर, 2010-11 के दौरान प्रमुख पेट्रो-रसायनों में 8.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रसायनों और पेट्रो-रसायनों का विदेश-व्यापार

9.19 कुल राष्ट्रीय निर्यातों में रसायनों और पेट्रो-रसायनों का हिस्सा 2003-04 से 2009-10 की अवधि के दौरान 11.6 प्रतिशत से कम होकर 9.96 प्रतिशत रह गया। इसी तरह आयात 9.2 प्रतिशत से कम होकर 7.2 प्रतिशत रह गए।

उर्वरक

9.20 भारत अपनी यूरिया की आवश्यकता का 85 प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा कर रहा है लेकिन फास्फोरस और पोटाशियम उर्वरक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह मूल रूप से तैयार उर्वरक या कच्ची सामग्री के रूप में आयात पर निर्भर है। पोटाश की समग्र आवश्यकता, फास्फेटिक उर्वरक की लगभ 90 प्रतिशत और यूरिया की लगभग 20 प्रतिशत आवश्यकता आयातों द्वारा पूरी की जाती है।

9.21 यूरिया के अतिरिक्त, फास्फोरस एवं पोटाशियम उर्वरकों की 21 श्रेणियां नामश: डायअमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो-अमोनियम फास्फेट (एमएपी), ट्रिपल सुपर फास्फेट (टीएसपी), अमोनियम सल्फेट (एएस), सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) और एनपीके सम्मिश्र उर्वरकों की 15 श्रेणियां किसानों को सब्सिडीयुक्त दरों पर मुहैया कराई जाती हैं, जो वास्तविक लागत से कहीं कम है। किसान वास्तविक लागत का केवल 25 से 40 प्रतिशत ही अदा करते हैं और शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाती है जिसकी प्रतिपूर्ति विनिर्माताओं/आयातकों को कर दी जाती है।

9.22 वर्ष 2009-10 में यूरिया का घरेलू उत्पादन 211.12 लाख मी. टन था जबकि 2008-09 में 199.20 लाख मी. टन उत्पादन हुआ था। 2009-10 में डीएपी के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई और यह 2008-09 के 29.93 मी. टन के मुकाबले 42.46 लाख मी. टन था। 2010-11 में यूरिया का 215.37 लाख मी. टन उत्पादन होने का अनुमान है तथा डीएपी एवं उसके साम्मिश्रों का उत्पादन अनुमानत: क्रमश: 39.58 लाख मी. टन एवं 91.66 लाख मी. टन होगा (सारणी 9.9)।

सारणी 9.9 : उर्वरकों का उत्पादन व आयात

(लाख मी.टन)

वर्ष	उत्पादन			आयात		
	2008-09	2009-10	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11*
यूरिया	199.2	211.12	215.37	56.67	52.09	45.83
डीएपी	29.93	42.46	39.58	61.91	58.89	68.12
मिश्रित उर्वरक	68.48	80.38	91.66			
एमओपी	शून्य	शून्य	शून्य	56.72	52.86	47.84

स्रोत : उर्वरक विभाग
टिप्पणी : * अनुमानित

इस्पात

9.23 विश्व इस्पात संघ के अनुसार, जनवरी-नवंबर 2010 के दौरान चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का स्थान चौथा था। वर्ष 2009 में यह तीसरी स्थान पर था जहां से यह फिसल कर चौथे स्थान पर आ गया। देश 2002 से विश्व भर में स्पंज आयरन का भी सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता रहा है। 2005-06 से 2009-10 के दौरान घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन 8.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ा (सारणी 9.10)। उत्पादन में हुई यह वृद्धि मुख्यत: निजी क्षेत्र के संयंत्रों में क्षमता-वर्धन तथा उच्च उपयोग दरों के कारण हुई।

9.24 भारतीय इस्पात उद्योग में अपने उत्पाद के रूपों को विविधीकृत करके इसमें ऑटोमोटिव क्षेत्र, भारी मशीनरी और भौतिक अवसंरचना में इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक मूल्य-वर्धित इस्पात को शामिल किया है। लेकिन, यह स्थानीय रूप से उपलब्ध धात्विक कोयले में भस्म का अधिक अंश होने तथा आयातित कोयले पर अत्यधिक निर्भरता की समस्या से ग्रस्त है और कच्चे माल की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे (उदाहरणत: लौह अयस्क के खनन को पट्टे पर लेना), अवसंरचना (संभारिकी और परिवहन सुविधाएं स्थापित करना) और भूमि-अधिग्रहण में व्याप्त अनिश्चितताएं ग्रीनफील्ड विस्तार में अड़चनों के रूप में उभरी हैं। अप्रैल से नवम्बर 2010-11 के दौरान परिष्कृत इस्पात की खपत, आयात व निर्यात दरों में क्रमश: 9.8 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सूचना प्रोद्यौगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स

9.25 सूचना प्रोद्यौगिकी (आईटी) बीपीओ उद्योग के सकल राजस्व में 5.4 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। यह 2008-09 में 69.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2009-10 में 73.1 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गई। सूचना प्रोद्यौगिकी सेवा निर्यात 2008-09 में 25.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2009-10 में 27.3 बिलियन अमरीकी डॉलर थे, इनमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सूचना प्रोद्यौगिकी समर्थ सेवाएं (आइटीइएस) बीपीओ निर्यातों में वर्षानुवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई यह 2008-09 में 11.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2009-10 में 12.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गए। घरेलू बाजार से प्राप्त राजस्व (आइटी सेवा और आईटीइएस-बीपीओ) 2008-09 में 12.8 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 2009-10 में बढ़कर 14 बिलियन अमरीकी डालर हो गए, यह वृद्धि लगभग

सारणी 9.11 : कुल निर्मित इस्पात और पिग आयरन का उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात

(मिलियन टन)

	मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2008-09 की तुलना में परिवर्तन (%)
बिक्री के लिए उत्पादन	टी एफ एस	46.56	52.53	56.07	57.16	59.69	4.4
	पिग आयरन	4.69	4.93	5.284	6.21	5.73	-7.6
आयात	टी एफ एस	4.31	4.93	7.03	5.84	7.3	25
	पिग आयरन	0.03	0.03	0.11	0.08	0.11	38
निर्यात	टी एफ एस	4.8	5.24	5.08	4.44	3.24	-27
	पिग आयरन	0.44	0.71	0.56	0.35	0.28	-21
वास्तविक खपत**	टी एफ एस	41.43	46.78	52.12	52.35	56.48	7.9
	पिग आयरन	4.13	4.33	4.62	5.87	5.46	-6.9

स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) इस्पात मंत्रालय
टिप्पणीयां : टी एफ एस: कुल निर्मित स्टील, मिश्र धातु और कार्बन दोनों; पीआई: पिग आयरन
** माल में परिवर्तन होना और दुबारा गिन लिए जाने की स्थिति में समायोजन

9 प्रतिशत थी। समग्र आइटी सोफ्टवेयर और सेवा रोजगार (हार्डवेयर क्षेत्र के रोजगार को छोड़कर) 2008-09 में 2.20 मिलियन के मुकाबले 2009-10 में 2.28 मिलियन तक पहुंच गए। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सूचना प्रोद्यौगिकी-सूचना प्रोद्यौगिकी उद्योग का अंशदान 2008-09 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 6.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। नेसोकोम आशा करता है कि आइटी-बीपीओ निर्यातों में 2010-11 में कम से कम 18 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह 2009-10 में 49.7 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 58.7 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण

9.26 इलेक्ट्रानिक्स का उत्पादन 2008-09 में 97,260 करोड़ रु. के मुकाबले 2009-10 में 109,940 करोड़ रु. तक पहुंचने से 13 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यात 2008-09 में 31,230 करोड़ रु. के मुकाबले 2009-10 में 31,250 करोड़ रु. होने का अनुमान है। 2010-11 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स में संचयी निर्यात आंकड़ा 1.36 बिलियन (6259 करोड़ रुपए अमरीकी डॉलर पर जाने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात 1.92 बिलियन अमरीकी डालर (9339 करोड़ रु.) परिकलित किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ)

9.27 देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ) की भूमिका अहम है यह उद्यमियों की पौधशाला है जो व्यक्तिपरक सृजनात्मकता और नवपरिवर्तनों से प्रेरित होती है उत्पादन विनिर्माण निर्यात और रोजगार सृजन करते हुए देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमइ का देश के स.घ.अ में 8 प्रतिशत का योगदान है जिसमें 45 प्रतिशत विर्निमित उत्पादन और 40 प्रतिशत के निर्यात शामिल है। एमएसएमइ के साथ-साथ समग्र वृद्धि में श्रम पूंजी अनुपात बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक है। इसके अलावा एमएसएमइ का बेहतर रूप से फैलाव है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमइ इक्विटी और समावेशन के साथ विकास करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

9.28 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 249 सीपीएसई थे। इनमें से 217 प्रचालन में और 32 निर्माणाधीन थे। इन सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार संचयी निवेश (प्रदत्त पूंजी जमा दीर्घावधि ऋण) की मात्रा 579, 920 करोड़ रुपए थी, 2008-09 के बाद 12.93 प्रतिशत की वृद्धि। इन सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगाई गई पूंजी इसी अवधि के दौरान 14.73 प्रतिशत तक पहुंच गई। सीपीएसई में निवेश की यह बड़ी राशि बाहरी स्रोतों से निवेश के माध्यम की अपेक्षा आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जुटाई जाती है।

सारणी 9.11 : 2009-10 के दौरान सीपीएसई का प्रदर्शन

(₹ करोड़)

क्रम स.	विवरण	2009-10	2008-09	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1.	निवेश (दीर्घावधिक ऋण+इक्विट)	579,920	513,532	12.93
2.	नियोजित पूंजी (निवल अचल आस्ति+कार्यशील पूंजी)	910,120	793,240	14.73
3.	कुल टर्नओवर	235,060	1,271,529	-2.87
4.	लाभ कमाने वाल सीपीएसई का लाभ	108,435	98,488	10.10
5.	घाटे पर चलने वाले सीपीएसई का घाटा	15,842	14,621	8.35
6.	निवल संपत्ति	360,245	665,686	-0.82
7.	घोषित लाभांश	33,223	25,501	30.28
8.	कारपोरेट टैक्स	119,529	131,583	-9.16
9.	प्रदत्त ब्याज	35,720	39,300	-9.11
10.	केन्द्रीय राजकोष में अंशदान	139,828	151,529	-7.72
11.	विदेशी मुद्रा अर्जन	77,745	74,206	4.77
12.	विदेशी मुद्रा व्ययन	420,415	433,332	-2.98

स्रोत : सरकारी उद्यम विभाग

9.29 2009-10 में लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई (158) का निवल लाभ 108,434.68 करोड़ रुपए पर था। दूसरी तरफ घाटा उठाने वाले उद्यमों (59) का निवल घाटा 15,842 करोड़ रु. था। इस वर्ष में सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा बहुत कम वित्तीय वसूलियां देखी गई क्योंकि उन्हें घरेलू बाज़ार में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर कीमतों को कम रखना था। वर्ष 2009-10 के दौरान सीपीएसई का विदेशी मुद्रा अर्जन 77,745 करोड़ रुपए था तथा 420,415 करोड़ रुपए के राशि के साथ विदेशी मुद्रा व्यय इससे स्पष्टतया कहीं ज्यादा था।

पर्यटन क्षेत्र

9.30 2010-11 के पहले आठ महीनों में विदेशी पर्यटकों के आगमन ने 2008-09 में ऋणात्मक वृद्धि तथा 2009-10 में कम वृद्धि के मुकाबले 9.4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कराई है। यह विश्व की लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना के अनुकूल है। वर्ष 2009-10 में तत्समान अवधि की तुलना में वर्ष 2010-11 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा अन्य एफईईज रुपए के संदर्भ में 16.8 प्रतिशत तथा अमरीकी डॉलर के संदर्भ में 22.7 प्रतिशत रहा (सारणी 9.12)।

वित्त पोषण तथा निवेश

औद्योगिक ऋण

9.31 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, उद्योग में ऋण वृद्धि नवम्बर, 2009 में 14.2 प्रतिशत थी जो तेजी से बढ़कर नवम्बर, 2010 में 27.0 प्रतिशत तक हो गयी है। (सारणी 9.13) अवसंरचना सहित उद्योग में बैंक ऋण के कुल नियोजन का क्षेत्रवार संघटन व्यापक

सारणी 9.12 : विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या, विदेशी मुद्रा अर्जन रुपयों तथा अमरीकी डॉलरों में तथा प्रतिशत परिवर्तन

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन (लाख)	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन	विदेशी मुद्रा (करोड ₹)	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन	विदेशी मुद्रा अर्जन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन
2006-07	46.67	13.8	41,127	17.9	9123	16.2
2007-08	51.75	10.9	45,526	10.7	11,349	24.4
2008-09	50.66*	-2.1	48,657**	6.9	10,543**	-7.1
2009-10	52.86*	4.3	59,124**	21.5	12,521**	18.8
2010-11 अप्रैल-नवम्बर	33.65*	9.4	40,104**	16.8	8777**	22.7

स्रोत : पर्यटन मंत्रालय

टिप्पणी : *अनंतिम; ** अग्रिम अनुमान

सारणी 9.13 : उद्योगवार-सकल बैंक ऋण का नियोजन

क्षेत्र	(वर्ष दर वर्ष) प्रतिशत वृद्धि		उद्योग के बकाया ऋण में हिस्सा (%)	
	नवम्बर-09	नवम्बर-10	नवम्बर-09	नवम्बर-10
खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	2.6	27.0	1.3	1.3
खाद्य प्रसंस्करण	5.9	30.3	4.6	4.8
पेय पदार्थ और तम्बाकू पदार्थ	9.2	-2.3	0.9	0.7
वस्त्र	7.4	18.1	9.4	8.7
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	-0.5	16.1	0.5	0.5
धातु और काष्ठ उत्पाद	4.1	27.9	0.4	0.4
कागज और कागज उत्पाद	11	16.3	1.5	1.4
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्यूक्लीयर ईंधन	-22	-14.6	5.9	4.0
रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	1.0	19.9	6.6	6.3
रबड़, प्लास्टिक तथा उनके उत्पाद	6.5	37.8	1.2	1.3
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	18.3	40.9	1.8	2.0
बुनियादी धातुएं तथा धातु उत्पाद	18.3	25.7	12.8	12.6
सभी इंजीनियरिंग	4.7	31.9	5.7	5.9
वाहन, वाहन के हिस्से तथा परिवहन उपस्कर	-2.9	16.5	3.1	2.9
निर्माण	8.9	16.4	3.2	3.0
अवसंरचना	47.2	44.2	29.0	32.9
उद्योग	14.2	27.0	100.0	100.0
उद्योग कुल अवसंरचना रहित	4.6	20.0	71.0	67.0

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम है तथा केवल चयनित बैंकों से संबंधित है।

रूप से परिवर्तनशील पैटर्न को दर्शाता है। इसी अवसंरचना क्षेत्र ने नवम्बर, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान 27.0 प्रतिशत के स्तर तक ऋण वृद्धि कायम की थी। पिछले वर्ष की तत्समान अवधि के दौरान 4.6 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर, 2010 में उद्योगों में अवसंरचना को छोड़कर, वर्ष दर वर्ष ऋण वृद्धि 20.0 प्रतिशत थी।

9.32 सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) में औद्योगिक ऋण (सेवा क्षेत्र सहित) नवम्बर, 2010 में (21.5 प्रतिशत) पिछले वर्ष (19.3 प्रतिशत) की तत्समान अवधि की तुलना में उच्च दर तक बढ़ा है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसई में औद्योगिक ऋण 16.9 प्रतिशत तक बढ़ गए। हैं। नवम्बर, 2009 के दौरान तदनुरूपी आंकड़े 19.0 प्रतिशत पर रहे है।

औद्योगिक निवेश

9.33 उद्योग क्षेत्र घरेलू पूंजी निर्माण के काफी बड़े हिस्से को आकर्षित करता रहा है जिससे उत्पादनकारी क्षमताओं में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय लेखों (2004-05) की नई श्रृंखला के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि निर्माण को छोड़कर 2004-05 से 2009-10 के दौरान 8.6 प्रतिशत की औसत जीडीपी वृद्धि के मुकाबले 11.3 प्रतिशत थी। सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) की विकास दर, खनन, पंजीकृत विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा थी। 2008-09 में कुल जीसीएफ की विकास दर में उद्योग के जीसीएफ के हिस्से के मुकाबले कमी आई थी, जिसे असामान्य वर्ष माना जा सकता है क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी ने निवेशक की भावना को प्रभावित किया था जिससे निवेश में कमी आई और निवेश संबंधी निर्णयों में बाधा आई। कारपोरेट क्षेत्र की आंतरिक प्राप्तियां प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुई। स्टॉक मार्केट सूचकांक में कमी ने मूल्य प्राप्ति को प्रभावित किया तथा इन कारकों के सम्मिलित प्रभाव से उद्योग जीसीएफ में कमी आयी। लेकिन 2009-10 के दौरान, समग्र जीसीएफ के हिस्से की तुलना में उद्योग का जीसीएफ निवेश की भावनाओं में सुधार आने के कारण बढ़कर 43.8 प्रतिशत हो गया। (सारणी 9.14)

9.34 यद्यपि जीसीएफ निवेश की वास्तविकता को दर्शाता है, दर्ज कराए गए निवेश आशय औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) में उद्योग तथा उद्यमी अवधारणा में संभावित निवेश प्रवाहों का अग्रिम संकेत देते हैं। निवेश के आशय निवेशकों की क्षेत्रवार वरीयता भी उपलब्धता कराते हैं और समयानुसार इन वरीयता क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते है। 2001-09 के दौरान, किए गए आईईएम में दर्ज कराया गया समग्र निवेश 35.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर तक बढ़ गया है। जैसा कि आशा की गई थी, 2009 में निवेश आशयों में कमी थी, किंतु 2010 (जनवरी-नवम्बर) में निवेश आशय व्यवसाय भावना में पुनर्जीवन तथा उद्यमी अवधारणा में सुधार दर्शाता है। धातु, मशीनरी, सीमेंट, रसायन तथा ऑटों क्षेत्र वरीयता प्राप्त उद्योगों के रूप में प्रभुत्व बनाए हुए हैं। यह इन उद्योगों के विकास के अनुसार है (सारणी 9.15)।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

9.35 भारत में घरेलू बचत इतनी ज्यादा नहीं है कि वे बढ़ती हुई निवेश की जरूरतों को पूरा कर सकें। अन्य देशों से पूंजीगत अंतर्वाह, विशेषरूप से निवेश प्रकृति का, महत्वपूर्ण बन गया है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घरेलू बचतों का अनुपात स०घ०उ० की तुलना में जीसीएफ की अपेक्षा सामान्यत: कम रहा है। 2004-08 के दौरान यह अन्तर स०घ०उ० की तुलना में 1.3 प्रतिशत था। इक्विटी अंतर्वाह अधिक स्थायी होते हैं तथा निवेश के साथ प्रबंधकीय कौशल तथा प्रोद्योगिकीय जानकारी लाते हैं। एफडीआई अंतर्वाहों को प्रोत्साहन देने के लिए, एफडीआई नीति सुमेलित तथा प्रगामी रूप से उदार रही है, जोकि स्वचालित

सारणी 9.14 : उद्योग में जीसीएफ

(2004-05 की कीमतों पर करोड़ ₹ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	सीएजीआर
1. खनन	37,322	52,260	60,412	68,470	59,266	96,079	20.82
2. विनिर्माण	344,517	405,047	472,223	611,469	417,971	563,633	10.35
2.1 पंजीकृत	245,984	342,671	380,294	521,967	381,056	477,202	14.17
2.2 अपंजीकृत	98,533	62,376	91,929	89,502	36,915	86,431	-2.59
3. विद्युत	53,300	64,673	76,366	85,040	95,533	98,908	13.16
कुल उद्योग का जीसीएफ*	435,139	521,980	609,001	764,979	572,770	758,620	11.76
विकास दर (%)		19.96	16.67	25.61	-25.13	32.45	
कुल जीसीएफ (मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर)	1,011,178	1,183,485	1,365,019	1,606,013	1,542,642	1,731,209	11.35
कुल जीसीएफ में उद्योग का हिस्सा	43.0	44.1	44.6	47.6	37.1	43.8	

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईजीपी)

टिप्पणी : सीएजीआर मिश्रित वार्षिक विकास दर है। * उद्योग जीसीएफ में निर्माण शामिल नहीं है।

सारणी 9.15 दायर किए गए औद्योगिक उद्यमों के ज्ञापनों में निर्दिष्ट निवेश

(₹ करोड़)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (जन.-नव.)
खाद्य	40,098	62,845	10,520	15,924	15,637	18,272
संधान उद्योग	2888	8008	5171	8230	4566	2998
वस्त्र	21,605	26,325	22,193	10,730	9200	25,747
लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद	163	-	105	622	96	122
कागज तथा कागज उत्पाद	5473	8199	4649	5841	6037	5908
चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	209	148	266	106	106	152
रसायन	28,350	45,722	34,352	155,756	27,661	51,072
रबड़	1102	2403	1191	2867	2118	5330
सीमेंट	11,800	42,406	76,906	125,948	53,742	94,732
धातु	101,730	144,128	180,973	364,978	254,285	380,691
मशीनरी	87,340	165,227	375,276	556,635	503,651	884,582
परिवहन	2059	10,688	11,314	24,862	5048	10,437
अन्य	25,707	48,669	69,583	207,842	95,958	64,398
ईंधन	25,432	23,782	35,001	42,225	61,743	72,956
कुल	**353,956**	**588,550**	**827,500**	**1,522,566**	**1,039,848**	**1,617,397**

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीजी

मार्ग के अंतर्गत अधिक से अधिक उद्योगों में एफडीआई को सुसाध्य बनाती है। वर्ष 2000 में, सरकार ने अधिकतर गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान की। जहां स्वचालित मार्ग उपलब्ध नहीं था अथवा एफडीआई की सीमाएं थी, वहां लघु ऋणात्मक सूची अधिसूचित की गई थी। उसके बाद, नीति को धीरे-धीरे सरल और तर्कसंगत बनाया गया और विदेशी निवेश के लिए अधिक क्षेत्र खोले गए हैं।

9.36 2003-04 से भारत में एफडीआई अंतर्वाहों में आशातीत वृद्धि हुई है। इक्विटी अंतर्वाह 2003-04 में 2.23 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2008-09 में 27.31 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2009-10 में 25.89 बिलियन अमरीकी डॉलर तक लगभग तेरह गुना बढ़ गया है। उदारीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ (अगस्त 1991-मई 2010) से भारत में एफडीआई अंतर्वाह लगभग 136.86 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ है। यह इक्विटी पूंजी घटक में प्रतिनिधित्व करता है, रिपोर्टिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अंतर्गत अर्थात् इक्विटी पूंजी, पुनः निवेशित अर्जन, और कंपनी के भीतर ऋणों सहित, 2001-02 में 6.13 बिलियन अमरीकी डॉलर, 2008-09 में 35.18 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2009-10 में 37.19 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले आंकड़ें 168.94 बिलियन है। जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान एफडीआई अंतर्वाह कुछ हद तक एक समान रहा है, अंतर्वाह की गति स्थिर रही है जिसमें वर्ष 2009-10 शामिल है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड), विश्व निवेश रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर), 2009 ने 2007 में 1.979 ट्रिलियन की ऐतिहासिक उछाल से 2008 में 1.679 ट्रिलियन तक की कमी अर्थात् 14 प्रतिशत तक की कमी दर्शायी है। अंकटाड ने इसके पश्चात् वैश्विक एफडीआई निवेश प्रवाह में 2008 में 1.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से 2009 में 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की, 30 प्रतिशत की कमी का पूर्वानुमान लगाया था। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ने मार्च 2010 में जारी निवेश संबंधी अपनी रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक संकट के कारण वैश्विक निवेश गतिविधि में महत्वपूर्ण गतिरोध भी नोट किया था।

सारणी 9.16 : एफडीआई अंतर्वाहों में वृद्धि

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

वित्तीय वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार*	प्रतिशत वृद्धि	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह#	प्रतिशत वृद्धि
2003-04	4.32	(-) 14%	2.23	(-) 18%
2004-05	6.05	(+) 40%	3.78	(+) 69%
2005-06	8.96	(+) 48%	5.97	(+) 58%
2006-07	22.83	(+) 155%	16.48	(+) 176%
2007-08 (अ)	34.84	(+) 53%	26.86	(+) 63%
2008-09 (अ)	35.18	(+)1%	27.99	(+)4%
2009-10 (अ)	37.18	(+)6%	27.15	(+)3
2010-11 अप्रैल-अक्तू 2010)	14.9	-	12.62	-

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी
टिप्पणी : * भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार।
 # डीआईपीपी अनुमानों के अनुसार।

सारणी 9.17 : उद्योग और अवसंरचना में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	1991-2002	2002-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अप्रैल-नव.)
खाद्य उत्पाद	972.6	392.2	80.7	150.5	348.2	166.0
सन्धान उद्योग	51.1	216.3	270.1	144.7	112.0	18.0
वस्त्रोद्योग	249.2	327.2	186.0	157.4	140.6	56.2
काष्ठ उत्पाद	0.1	0.6	0.4	11.3	6.5	0.7
कागज	327.2	139.0	104.2	310.1	85.9	28.1
चमड़ा	43.4	16.8	7.5	3.3	5.1	0.3
रसायन	1810.4	1934.1	582.3	992.5	611.8	500.6
रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद (तेल अन्वेषण सहित)	342.1	464.7	1441.9	497.2	296.2	542.2
अधात्विक खनिज	515.8	877.9	143.0	944.2	45.6	279.1
धातुएं और धात्विक उत्पाद	223.0	548.7	1176.9	960.9	406.7	960.3
मशीनरी एवं उपस्कर	3092.4	6854.4	2645.7	2528.1	2515.3	1317.1
परिवहन उपस्कर	431.1	1130.8	674.8	1151.7	1176.6	533.0
अन्य विनिर्माण	2834.2	1184.7	704.3	1566.1	1079.4	1232.6
खनन (खनन सेवाओं सहित)	7.8	55.8	458.3	34.4	174.0	75.1
विद्युत*	1885.8	398.5	1011.2	1070.1	1935.2	1028..0
दूरसंचार	2140.4	1505.9	1261.5	2558.4	2554.0	1029.8
जोड़	**14,926.0**	**16,047.6**	**10,748.5**	**13,080.8**	**11,493.0**	**7831.2**

स्रोत : डीआईपीपी

टिप्पणी : इसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई) स्कीमों और सेवा क्षेत्र से संबंधित अंतर्वाह शामिल नहीं है।

*** इसमें अपरंपरागत ऊर्जा क्षेत्र शामिल है**

9.37 सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह 2003-04 के 0.37 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में लगभग 2.21 प्रतिशत हो गए। सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के प्रतिशत के रूप में इसी अवधि में वे 1.35 प्रतिशत से बढ़कर 6.32 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गए। जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) द्वारा जापानी निवेशकों के बीच किए गए 2009 सर्वेक्षण में विदेशी कारोबारी प्रचालनों के लिए चीन के बाद भारत को दूसरे सबसे उदीयमान देश का दर्जा दिया जाना जारी रखा गया। डब्ल्यूआईआर 2010 में एफडीआई अंतर्वाहों की वैश्विक प्रवृत्तियों और सतत् विकास के विश्लेषण में भारत को 2010-12 के दौरान एफडीआई हेतु दूसरे सबसे आकर्षक स्थान का दर्जा दिया है। इसके अनुसार, 2009-11 के दौरान एफडीआई हेतु शीर्ष पांच सर्वाधिक आकर्षक देश हैं–चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमरीका और रूसी परिसंघ। डब्ल्यूआईआर, 2009 में भारत को तीसरा सर्वाधिक आकर्षक गंतव्य देश कहा गया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए भारत के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एफडीआई अंतर्वाहों का संतुलन बनाए रखा जाए।

9.38 एफडीआई इक्विटी निवेशों के संदर्भ में पहले दस निवेशकारी देशों की सूची में मॉरीशस पहले स्थान पर है जिसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका, यूके, सिंगापुर, नीदरलैण्ड्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, साइप्रस और स्विट्ज़रलैण्ड का स्थान है। अधिकतम एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं–सेवाएं, दूरसंचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आवास-निर्माण और स्थावर संपदा एवं निर्माण। कृषि सेवा, समुद्री परिवहन और बिजली के उपस्करों ने 2009-10 के दौरान एफडीआई अंतर्वाहों में मात्रा की दृष्टि से उछाल देखा है। कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रों में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह सारणी 9.17 में दिए गए हैं।

नीतिगत घटनाक्रम और कार्यक्रम

वस्त्रोद्योग

9.39 वस्त्रोद्योग मंत्रालय की दो फ्लैगशिप योजनाएं नामशः प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और समेकित वस्त्रोद्योग पार्क योजना (एसआईटीपी) को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। टीयूएफएस जो संगठित एवं असंगठित, दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उद्यमियों को कम दरों पर ऋण मुहैया कराकर वस्त्रोद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से 1 अप्रैल 1999 को

शुरू की गई थी, उसे वस्त्रोद्योग के लक्षित खण्डों में तीव्र निवेश को प्रेरित करने के लिए बेहतर बनाया गया है। इस योजना में 207,747 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के मुकाबले 85,091 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और 30 जून, 2010 तक (अनंतिम) 28,302 आवेदकों को 85,091 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और 30 जून, 2010 तक (अनंतिम) 28302 आवेदकों को 85,091 करोड़ रुपए के ऋण संवितरित किए गए। एसआईटीपी के 40 समेकित वस्त्रोद्योग पार्क, जिनमें 4133.09 करोड़ रुपये (जिसमें सरकार से प्राप्त सहायता 1419.69 करोड़ रुपये) के परियोजना प्रस्ताव वाले कताई-बुनाई, प्रसंस्करण एवं कपड़ा क्षेत्र शामिल हैं, को मंजूरी दे दी गई है। अब तक, आठ वस्त्रोद्योग पार्कों का उद्घाटन कर दिया गया है।

9.40 वस्त्रोद्योग मंत्रालय ने सभी प्रमुख हितधारकों से जानकारी लेकर राष्ट्रीय रेशा नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति को दशक के परिप्रेक्ष्य (2010-20) से तैयार किया गया है और इसमें मौजूदा नीतिगत संरचना को मजबूत बनाकर तथा आने वाले दशक में देश में तेजी से रेशे का विकास हेतु संस्थागत एवं प्रौद्योगिकीय सहायता देकर भारत को विश्व रेशा मानचित्र पर खड़ा करने का प्रयास किया गया है।

9.41 वस्त्रों तथा जूट व हथकरघा सहित परिधान क्षेत्र के लिए 'समेकित कौशल विकास योजना' नाम से एक नई योजना 5 अगस्त, 2010 में प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में कामगारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की क्षमता निर्माण करना था। योजना में 272 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 2010-11 और 2011-12 के दौरान सरकारी अंशदान 229 करोड़ रुपये होगा और 2.56 लाख व्यक्ति प्रशिक्षित करने का भौतिक लक्ष्य होगा।

9.42 भारत सरकार ने यार्न उत्पादन की अवस्था तक कृषि उद्यमों में काकून उत्पादन के लिए विस्तार प्रणाली सहित काकून उत्पादन की अवस्था तक रेशम उत्पादन की गतिविधियों को शामिल करने का निर्णय लिया है तथा विपणन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्त पोषण का पात्र होगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लाभ अब रेशम उत्पादन विस्तार प्रणाली के सुधार, मृदा के स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए, वर्षापोषित रेशम उत्पाद के विकास तथा समेकित कीट प्रबंधन के लिए प्राप्त किए जा सकते है।

इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

9.43 विश्व में बहुत सी सरकारों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, ई-गवर्नेंस कार्यनीतियां विकसित की हैं और वे जनसेवा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कर रहे हैं। संवेदी जनसेवाओं को प्रदान करने तथा ग्रामीण उद्यमिता के संवर्धन के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मई, 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना अनुमोदित की थी। एनईजीपी में 27 मिशन मॉड परियोजनाएं (एमएमपी) (9 केन्द्रीय, 11 राज्य तथा 7 समेकित) और 8 समर्थनकारी संघटक हैं। सरकार ने, 40,000 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेशित किए जाने की योजना बनाई है। ताकि सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉड में देश में 1100 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा सके; राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में डॉटा, वॉयस और वीडियो संचार के लिए अभिसरित बैकबोन नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सके, तथा सीमलैस जी2सी, जी 2 बी, तथा जी 2 सी सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए राज्यस्तरीय ई गवर्नेंस आवेदनों/आंकड़ों को जोड़ने हेतु सामान्य सुरक्षित आई टी अवसंरचना प्रदान की जा सके। इन महत्वपूर्ण ई अवसंरचना के सृजन में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है जिसमें राज्य व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी), राज्य सेवा सुपुर्दगी द्वार (एसएसडीजी) तथा नॉन स्टॉप शॉप फ्रंट-एंड सर्विस एक्सिस प्वायंट्स –सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) शामिल है।

9.44 सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) स्थापित करने का निर्णय लिया था जिसमें 10 जीबीपीएस क्षमता वाले हाई स्पीड डाटा संचार नेटवर्क के स्केलेबल मल्टीपल्स होने थे। यह लगभग 1500 नॉटस को जोड़ेगा जो उच्चतर ज्ञान, अनुसंधान तथा अभिशासन के संस्थानों को कवर करेगा। 17 प्वाइंट्स ऑफ प्रेसेंस (पीओपी) वाला एक केन्द्रीय बैकबोन स्थापित किया गया है। प्रचालनात्मक एनकेएन केन्द्रीय संपर्क की कुल संख्या 37 है। उच्चतर शिक्षा तथा उन्नत अनुसंधान की लगभग 88 संस्थाएं पहले ही नेटवर्क तथा 15 वास्तविक कक्षा संस्थापना से जुड़ी हुई हैं।

9.45 उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानवशक्ति उत्पन्न करने के लिए सचेत रहने और लगातार कार्य करने की जरूरत होगी। भारत सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति घोषित की जिसने 2022 तक कौशल वाले 500 मिलियन व्यक्तियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा। नीति का उद्देश्य डैमाग्राफिक लाभांश का लाभ उठाना भी है अर्थात् भारत में 15 से 59 वर्ष के कार्यकारी आयुवर्ग की जनसंख्या की वृद्धि करना। सूचना प्रौद्योगिक विभाग (डीआईटी) को कौशल विकास पहल के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है और 2022 तक इसे 10 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य नियत किया गया है।

9.46 नैनो टैक्नोलॉजी के महत्त्व को अहमियत देते हुए, डीआईटी ने 2004 में नैनो टैक्नोलॉजी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नैनो मैट्रोलॉजी में अनुसंधान के लिए अवसंरचना सृजित करना तथा विशिष्ट क्षेत्रों जैसे नैनो सामग्री, नैनो उपकरण, कार्बन नैनोट्यूब (सीएनटी) तथा नैनो पद्धति में लघु तथा मध्यम स्तरीय अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण करना था। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली में एक नैनो मेट्रोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

भारतीय विज्ञान अनुसंधान, बंगलौर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पो वाई में सृजित सुविधाएं भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपयोगकर्ता कार्यक्रम (आईएनयूपी) के जरिए देश में अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध करायी गयी है जिसके द्वारा आरएंडडी गतिविधियों के लिए समूचे देश से 40 से अधिक संगठन पहले से ही इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

9.47 देश में चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए, डीआईटी नैदानिक, थैराप्यूरिक, तथा संबंधित चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों की सहायता करता रहा है। जय विज्ञान मिशन के अंतर्गत, कैंसर उपचार के लिए छः जेएमवी समेकित चिकित्सा रैखिक त्वरक (लिनाक) विकसित किए गए हैं और उन्हें महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, वर्धा तथा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, अडियार में स्थापित किया गया है और इनका प्रयोग कैंसर के मरीजों के उपचार के लिए किया जा रहा है तथा देश के अन्य अस्पतालों में तैनाती के लिए चार और मशीनें विकसित की जा रही हैं। त्रिपुरा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूर चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा दूरदराज के क्षेत्रों में मरीजों को इन केन्द्रों के जरिए टेलि-परामर्श प्रदान किया जाता है।

9.48 सही और उपयुक्त कारोबार संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिए कारोबार प्रक्रिया के साथ तथा आईटी के लिए आईटी प्रक्रिया के संयोजन हेतु, देश में इलेक्ट्रॉनिक तथा आईटी के क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन की जरूरत है। यह डीआईटी के मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटी क्यूसी) द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यह उत्तरपूर्वी क्षेत्र सहित देश में फैली परीक्षण प्रयोगशाला के सुविकसित नेटवर्क के जरिए परीक्षण, अशांकन, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं प्राथमिक रूप से लघु तथा मध्यम उद्योगों द्वारा उपयोग की जा रही है और अभी तक 10,000 संगठन इसका लाभ उठा चुके हैं।

9.49 आईटी द्वारा चलाई जा रही समिति से आर्थिक लाभ उठाने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को पास करके तथा 2008 में इसके संशोधन द्वारा ई वाणिज्य तथा सूचना सुरक्षा के लिए एक संपूर्ण पहुंच अपनायी गयी थी। साइबर सुरक्षा तथा इमरजेंसी प्रत्युत्तर से संबंधित सभी मामलों के समन्वयन के लिए भारतीय कम्प्यूटर इमरजेंसी प्रत्युतर टीम (सर्ट-इन) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

एमएसएमई

9.50 30 जनवरी, 2010 को माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट एमएसएमई के विकास और संवर्धन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। विस्तृत सिफारिशें छः मुख्य विषयपरक क्षेत्रों, नामतः क्रेडिट, विपणन, श्रम, पुनर्वासन तथा निर्गम नीति, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास तथा कराधान एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र और जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष उपायों को भी कवर करती है। इन सिफारिशों का कार्यन्वयन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित संचालन समूह द्वारा आवधिक रूप से मानीटर किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में एक परिषद् विस्तृत नीति संबंधी मार्ग निर्देशों को निर्धारित करने तथा एमएसएमई क्षेत्र के विकास की समीक्षा करने के लिए स्थापित की गई है।

9.51 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी) अपनी प्रक्रिया, डिजाइन, तथा प्रौद्योगिकी व बाजार संपर्क में सुधार के जरिए भारतीय एमएसएमई के बीच वैश्विक प्रतियोगिता विकसित करने के लिए भारत सरकार का नोडल कार्यक्रम है। इस वर्ष प्रचालित शेष तीन योजनाओं के साथ, इसके सभी दस घटक अब कार्यन्वयनाधीन है। इन दस घटकों में एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए जागरूकता का निर्माण, इन्कूबेटरों के जरिए एसएमई के उद्यमिता संबंधी तथा प्रबंधकीय विकास के लिए समर्थन प्रदान करने हेतु योजना, गुणवत्ता प्रबंधन मानक और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स (क्यूएमएस/क्यूटीटी) के जरिए विनिर्माण क्षेत्र को प्रतियोगितात्मक बनाना, एमएसएमई के लिए लीन विनिर्माण प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम, भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में सूचना और संचार उपकरणों (आईसीटी) का संवर्धन, एमएसएमई के लिए डिजाइन क्लीनिक योजना, एमएसएमई के लिए विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना तथा एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी गुणवत्ता उन्नयन समर्थन शामिल है।

9.52 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा निर्धारित समग्र लक्ष्य के अनुसार, एमएसएमई मंत्रालय ने कौशल विकास को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में लिया है। मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसियां 2010-11 के दौरान लगभग 4.16 लाख प्रशिक्षणार्थियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करेंगी। इसके अलावा, मंत्रालय का उद्देश्य देश में स्वरोजगार के अवसरों तथा मजदूरी रोजगार के अवसरों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए वर्ष 2011-12 में 4.78 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करता है।

9.53 सरकार ने देश में एमएसई तथा उनकी समूहों की उत्पादकता तथा प्रतियोगितात्मकता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कलस्टर पहुंच को मुख्य रणनीति के रूप में अपनाया है। एमएसई कलस्टर विकास कार्यक्रम के मार्गनिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है ताकि एमएसई को उच्च समर्थन प्रदान किया जा सके। 2010-11 के दौरान, 12 नए कलस्टर नैदानिक अध्ययन के रूप में, 11 नए कलस्टर मुलायम हस्तक्षेप के रूप में तथा 6 कलस्टर सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना हेतु लिए गए थे। इसके साथ, 28 राज्यों तथा सात संघशासित

क्षेत्रों में फैले कुल 471 कलस्टर अभी तक नैदानिक अध्ययन, मुलायम हस्तक्षेप तथा सीएफसी की स्थापना हेतु लिए गए हैं तथा सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से अधिक से अधिक कलस्टरों को कवर किए जाने के प्रयास जारी हैं।

9.54 सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत, 7568 करोड़ रु. की धनराशि की 1.5 लाख से अधिक एमएसई प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं ताकि वर्ष (नवम्बर, 2010 तक) के दौरान सहयोगी/तृतीय पक्ष गारंटी के बिना ऋण प्रदान किए जा सके-इसके द्वारा प्रस्तावों की संख्या के संदर्भ में 150 प्रतिशत से अधिक तथा पिछले वर्ष की संगत अवधि में ऋण धनराशि के संदर्भ में 200 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की जा सके। संचयी रूप में, नवम्बर, 2010 तक योजना के अंतर्गत 18,946 करोड़ रु. के ऋण हेतु लगभग 4.50 लाख एमएसई प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

9.55 ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत अनुमोदित सुस्थापित एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋणों पर अधिकतम 15 लाख रु. तक की तत्काल 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। 201 नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए योजना का दायरा हाल ही में बढ़ाया गया है जिसमें भेषजी क्षेत्र में 179 प्रौद्योगिकी शामिल हैं। वर्ष के दौरान (नवम्बर 2010 तक) 1963 एमएसई को सहायता प्रदान की गई है तथा 117.3 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई हैं।

9.56 अगस्त, 2008 में प्रारंभिक किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत नवम्बर, 2010 तक 2.65 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से 1.13 लाख सहायता से संबंधित जिलास्तरीय कार्यबल द्वारा चयनित की गई हैं। 30,881 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बैंकों द्वारा स्वीकृत की गई है तथा 23,059 मामलों में ऋण संवितरित किए गए थे जो लगभग 2.31 लाख व्यक्तियों को रोजगार देंगे। यह आशा की जाती है कि 2010-11 में 6 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

9.57 खादी और पोलिवस्त्र के उत्पादन और बिक्री को संवर्धित करने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) नामक एक नम्य, विकास प्रोत्साहक और शिल्पकला-केंद्रित स्कीम 2010-11 से आरंभ की गई है। इस स्कीम में 25:30:45 के अनुपात में शिल्पकारों, उत्पादक संस्थाओं और विक्रेता संस्थाओं के बीच उत्पादन के मूल्य की 20 प्रतिशत तक सहायता की भागीदारी की जाएगी।

9.58 सरकार ने एशियाई विकास बैंक और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के परामर्श से तैयार किए गए एक व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 150 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि हेतु एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता आबद्ध की है। इस सुधार पैकेज के अंतर्गत सरकारी अनुदानों पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करके केवीआईसी को आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ बनाने हेतु और शिल्पकारों के कल्याण हेतु और शिल्पकारों के लिए आय एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए खादी के बढ़े हुए स्थायित्व के साथ खादी क्षेत्र का पुनरुद्धार करना प्रस्तावित है। आरंभ में यह कार्यक्रम क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता, भौगोलिक समानता और पिछड़े क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए 300 खादी संस्थाओं में आरम्भ किया जाएगा। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केवीआईसी को 96 करोड़ रुपए की निधियों के रूप में पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

9.59 सीपीएसई को बढ़ी हुई वित्तीय और प्रचालनात्मक शक्तियां प्रत्यायोजित करने की दृष्टि से सरकार ने नवरत्न और मिनिरत्न स्कीमें आरंभ की है। वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार ने मेगा नवरत्न सीपीएससी को घरेलू और विदेशी बाजारों में अपने कार्यप्रचालनों का विस्तार करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए महारत्न स्कीम लागू की है। वर्ष के दौरान इंडियन आयल कॉरपोरेशन लि., नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि॰, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि॰ और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ नामक चार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। दो अन्य सीपीएसई यथा आयल इंडिया और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰ को 2010-11 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था और इन सीपीएसई नवरत्न की संख्या 16 हो गई है। वर्ष के दौरान तीन और सीपीएसई को यथा ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लि॰; भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लि॰ को मिनिरत्न का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में 62 मिनिरत्न सीपीएसई हैं।

9.60 इन उद्यमों के निदेशक मंडल का व्यवसायिककरण करने का प्रयास करने के अतिरिक्त सरकार ने सीपीएसई के कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिसम्बर, 2004 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए बोर्ड की स्थापना की है ताकि सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण और घाटे में जा रही सीपीएसई के पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण हेतु सलाह दे सकें। बीआरपीएसई ने 31 दिसम्बर, 2010 तक 62 मामलों के बारे में सिफारिशें की हैं। इस पर सरकार ने 40 सीपीएसई के पुनरुद्धार और दो को बंद करने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। 31 दिसम्बर, 2010 तक इस संबंध में 23612 करोड़ रुपए की कुल सहायता राशि सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है जिसमें से 3290 करोड़ रुपए नकद सहायता और 20,322 करोड़ रुपए नकदी भिन्न सहायता के रूप में होंगे। पुनरुद्धार की गई 20 सीपीएसई में से (जिन्होंने 2008-09 में लाभ दर्ज किया था) 11 इकाइयां पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जन कर रही हैं।

पर्यटन

9.61 पर्यटन मंत्रालय मेगा पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के गन्तव्यों और सर्किटों के विकास के लिए संयुक्त प्रयास कर रहा है। ये परियोजनाएं पर्यटनों को सुखद अनुभव देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पारिस्थितिकी पर्यटन के विवेकपूर्ण मिश्रण वाली परियोजनाएं हैं। यह मंत्रालय रेलवे, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खाद्य प्रसंस्करण और शहरी विकास जैसे अन्य केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों को शामिल कर रहा है ताकि अपने कार्यक्रमों के साथ अभिमुखीकरण और सहक्रिया के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और इन गन्तव्यों में निवेश के प्रभाव को अधिकतम बढ़ाया जा सके।

9.62 पांच देशों नामत: फिनलैंड, जापान, लक्समबर्ग, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के राष्ट्रिकों के लिए प्रायोगिक आधार पर जनवरी, 2010 से देश में बीजा-ऑन-एराइबल (बीओए) स्कीम आरम्भ की गई थी। जनवरी-नवम्बर, 2010 के दौरान कुल 5644 बीओए जारी किए गए थे। अब यह स्कीम जनवरी, 2011 से कम्बोडिया, लाओस, फिलीपीन्स, म्यांमार और वियतनाम, इन पांच देशों के राष्ट्रिकों के लिए बढ़ायी गई है।

9.63 भारतीय रिजर्व बैंक ने भू-सम्पदा से होटल परियोजनाओं के लिए ऋण को अनाबद्ध कर दिया है जिससे होटल परियोजनाओं को लचीले मानदंडों और घटी हुई ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होगा।

9.64 पर्यटन मंत्रालय ने 'सुरक्षा' के संवेदी स्तम्भ को अनिवार्यत: सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय पर्यटन उन सुरक्षित पर्यटन प्रथाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का अनुसरण करता है जो पर्यटकों और स्थानिक निवासियों, दोनों ही के लिए व्यवहार्य हो, अर्थात् स्थानीय जनता और समुदाय किसी भी प्रकार से पर्यटन द्वारा प्रभावित होते हैं, उनके लिए जुलाई, 2010 में 'सुरक्षित और सम्माननीय पर्यटन' के लिए आचार संहिता अपनायी है। यह संहिता पर्यटकों और पर्यटन उद्योग को सुग्राही बनाने, शोषण की, विशेषरूप से महिलाओं और बालकों की सभी संभावनाओं को समाप्त करने और भारत को एक सुरक्षित पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित करने हेतु तैयार की गई है। एक स्थायी पर्यटन मानदंड विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों के अनुसरण में 27 सितम्बर, 2010 विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन व्यवसाय और आतिथ्य उद्योग के पणधारकों द्वारा सुरक्षित, माननीय और स्थायी पर्यटन के प्रति वचनबद्धता की शपथ ली गई थी।

9.65 पर्यटन मंत्रालय ने विदेशों और घरेलू बाजारों में 'अविश्वसनीय भारत' अभियान के अन्तर्गत संवर्धनात्मक प्रयास जारी रखे हैं। पर्यटन के महत्व के प्रति जनता ओर विभिन्न पणधारकों को सुग्राही बनाने पर भी जोर दिया गया है।

उर्वरक

9.66 सरकार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) के पुनरूद्धार की व्यवहार्यता की जांच कर रही है बशर्ते कि इन्हे गैस की स्थायी रूप से उपलब्धता हो। बंद पड़ी इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए विभिन्न वित्तीय साधनों पर गौर करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। पुनरूद्धार के विभिन्न तरीकों पर विचार हो रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) के नवीकरण संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

9.67 विनियंत्रित पी एंड के उर्वरकों की रियायती स्कीम जिसे सरकार द्वारा 1992 से 31 मार्च, 2010 तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी उसे 1 अप्रैल, 2010 से न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी स्कीम में परिवर्तित किया गया है, जिसके तहत पी एंड के उर्वरकों के लिए सरकार ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान एन बी एस के अन्तर्गत 'एन', 'पी', 'के' को प्रति कि. ग्राम सब्सिडी के साथ-साथ उर्वरकों पर प्रति मी. टन सब्सिडी घोषित की है। सरकार ने उर्वरकों पर अतिरिक्त सब्सिडी भी मुहैया करायी है जिसमें बोरोन और जिंक नामक गौण और माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स शामिल होंगे। बोरोन और जिंक संपुष्ट उर्वरकों के लिए क्रमश: 3000 रु. और 500 रु. प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी भी स्वीकृत की गई है। मृदा और फसल संबंधी जरूरतों के अनुरूप किसानों को विभिन्न प्रकार के सब्सिडी प्राप्त उर्वरक मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकारने एन पी 24-24-0-0, एन पी के 16-16-16-0, और एन पी के एस 15-15-15-09 नामक मिश्रिम उर्वरकों के तीन नए ग्रेड 2010-11 में शामिल किए हैं।

9.68 एन बी एस के अन्तर्गत रेल द्वारा ढुलाई हेतु विनियंत्रित पी एंड के उर्वरकों (एस एस पी के अतिरिक्त) पर वास्तविक दावे के अनुसार मालभाड़ा सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। गौण माल-भाड़े का भुगतान भी किया जाता है। संयंत्र अथवा पत्तन से सीधे सड़क परिवहन के लिए मालभाड़ा 1 जनवरी, 2011 से वास्तविक दावे अथवा अधिकतम 700 कि.मी. तक रेल माल भाड़े के बराबर राशि में से जो भी कम होगा, अदा किया जाएगा। विनिर्माताओं को दानेदार अथवा पाउडर वाले एसएसपी की तुलना में बोरोनेटिड एसएसपी का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। देश के सभी भागों में उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक समान मालभाड़ा सब्सिड़ी नीति घोषित की गई है जिसके अन्तर्गत यूरिया के लिए रेल भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर और सड़क से ढुलाई के लिए जिले विशेष हेतु सामान्य औसत पर किया जाएगा।

9.69 सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उर्वरक उत्पादित/आयातित विनियंत्रित पी एंड के उर्वरकों का 20 प्रतिशत उर्वरक विभाग के नियंत्रणाधीन रखा है। देश में उर्वरकों की उपलब्धता को सुधारने की दृष्टि से सभी इमदाद प्राप्त उर्वरकों की उपलब्धता को सुधारने की दृष्टि से सभी इमदाद प्राप्त उर्वरकों की आयात की अनुमति दी गई है।

9.70 परम्परागत और मिश्रित उर्वरक उत्पादकों को सरकार द्वारा सहायताप्राप्त उर्वरकों की जिलों में प्राप्ति के पश्चात विनिर्माताओं/आयातकों से देश में इनकी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और अदा की गई सब्सिडी को देखते हुए सरकार ने डीएपी और एमओपी के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है ताकि निर्यात को हतोत्साहित किया जाए और इनका गैर-कानूनी उपयोग न होने पाए। सभी प्रकार के पी और के उर्वरकों को प्रतिबंधित श्रेणी के अन्तर्गत रखे जाने के कदम उठाए जा रहे हैं। उन देशों में जहां पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, संयुक्त उद्यम में अमोनिया/यूरिया परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। भारतीय कम्पनियां संसाधन सम्पन्न देशों में फास्फेटिक और पोटाशियम युक्त उर्वरकों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर वार्ताएं कर रही हैं।

इस्पात क्षेत्र

9.71 भारत में इस्पात के उपयोग के लिए विश्व इस्पात संघ की भविष्यवाणी आशाजनक है जो निर्दिष्ट करती है कि भारत में इस्पात की मांग के 2010 में 8.2 प्रतिशत और 2011 में 13.6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में संतुलित वृद्धि दर्ज होने की संभावना है और व्यक्त किया है कि इसके प्रमुख अंत:-प्रयोक्ता क्षेत्रों (विनिर्माण, निर्माण, ऑटोमोबाइल्स, पूंजीगत वस्तुओं सहित उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं) की वर्तमान निष्पादन प्रवृत्तियां कायम रहें तो वर्ष के अंत तक निर्मित इस्पात के उपयोग में 9 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है।

9.72 सुधारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण के प्रत्युत्तर में सरकार ने उत्पाद शुल्क में पूर्ववर्ती कटौती को वापस ले लिया है जिससे शुल्क दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है। 'हाट रोल्ड कॉयल्स' के आयात को प्रतिबंधित सूची से निकाल कर मुक्त सूची में डाल दिया है। तथापि, मंदी की अवधि के दौरान इस्पात पर निर्यात शुल्क को हटाए जाने जैसे अर्थव्यवस्था की सुरक्षा हेतु अपनाए गए अधिकांश अन्य नीतिगत उपाय प्रवृत्त रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने भूमि अधिग्रहण, खनन अधिकार, विद्युत और रेल, सड़क तथा पत्तन क्षेत्रों सहित माल ढुलाई जैसे मामलों में विनिवेशकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच वार्ताओं को सुसाध्य बनाने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समूह गठित किया है।

औद्योगिक विकास के कुछ संवेदी आयाम

औद्योगिक प्रदूषण में हाल ही की प्रवृत्तियां:

9.73 जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औद्योगिक बहि:स्राव जिसमें कार्बनिक प्रदूषक, रसायन और भारी धातुएं तथा खनन जैसे भूमि आधारित क्रियाकलापों से निकलने वाला कचरा शामिल होता है। प्रमुख जल-प्रदूषक उद्योगों में उर्वरक, तेल शोधन रिफाइनरियां, लुगदी और कागज, चमड़ा, धातु प्लेटिंग तथा अन्य रसायन उद्योग शामिल हैं। जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई अनवरत मानीटरिंग से ज्ञात हुआ है कि जलीय संसाधनों के प्रमुख प्रदूषक कार्बनिक प्रदूषण रहे हैं। जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बीओडी) के अनुसार विकसित किए गए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड के आधार पर 150 नदियों के नमूनों में से 105 नमूने प्रदूषित पाए गए हैं।

9.74 तीव्र गति से हो रहे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भी नदियों के प्रदूषण भार में वृद्धि की है। सीपीसीबी के अनुमानों के अनुसार देश के श्रेणी-I के शहरों और श्रेणी-II के कस्बों से लगभग 38,254 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुमानित मल सृजन के मुकाबले उपलब्ध जलशोधन क्षमता केवल 11,787 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है जो मल सृजन और निर्मित उपचार क्षमता के बीच भारी अन्तर को निर्दिष्ट करता है। अनुपचारित और अशोधित अपशिष्ट जल का निर्गमन नदियों के लिए प्रदूषण भार का एक प्रमुख कारण बनता है।

9.75 देश में विद्यमान प्रदूषण उपशमन अवसंरचना उद्योगों द्वारा बहि:स्रावित प्रदूषण के विविध तरीकों के प्रति पर्याप्त उपचार सुविधाएं मुहैया कराती है। (फ्लाई-एश) चिमनियों से निकलने वाली राख, फोस्फो-जिप्सम और लौह एवं इस्पात के धात्विक मल भारत में सृजित होने वाले औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्वरूप हैं। अनुमान लगाया गया है कि थर्मल पावर संयंत्रों द्वारा वार्षिक आधार पर लगभग 112.29 मिलियन टन फ्लाई एश उत्सर्जित की जाती है, जिसमें से सीमेंट, सड़क तटबंधों, फ्लाई एश ईंटें और अन्य उत्पादों तथा खानों के पुन:भरण जैसे अलग-अलग क्षेत्रों द्वारा केवल 53.92 मिलियन टन राख को उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त, देश में 36,145 हानिकारक-अपशिष्ट उत्पादनकारी उद्योग हैं जो 6.2 लाख मी. टन हानिकारक अपशिष्ट प्रत्येक वर्ष उत्सर्जित करते हैं तथा रसायन आधारित उद्योगों के विस्तार से यह मात्रा बढ़ती जा रही है। पुन: अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2005 में देश में 1.47 लाख मी. टन 'ई-वेस्ट' इलैक्ट्रोनिक्स-अपशिष्ट का उत्सर्जन हुआ था जिसके वर्ष 2012 तक बढ़कर लगभग 8.0 लाख मी. टन होने की संभावना है। वर्तमान में, देश में 90,000 मी. टन वार्षिक क्षमता वाली 23 इलैक्ट्रोनिक्स-अपशिष्ट को पुन: शोधित करने वाली यूनिटें विद्यमान हैं।

वर्तमान कार्यक्रम एवं नीति

9.76 सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों सहित प्रसंस्करण और उद्योगों की 74 श्रेणियों के लिए संबंधित प्रदूषकों हेतु उत्सर्जन और बहि:स्राव मानक अधिसूचित किए हैं। सी पी सी बी सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्राधिकरण इन यूनिटों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों को मानीटर करते हैं। इन 17 श्रेणियों के अन्तर्गत कुल 2504 यूनिटों की पहचान की गई है जिसमें से 1810 यूनिटों ने मानकों का अनुपालन करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित कर ली हैं, 265 इन्हें पूरा नहीं कर पाई हैं और 429 यूनिटें बंद हो चुकी हैं।

9.77 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों को कवर करते हुए पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कारपोरेट उत्तरदायित्व पर एक चार्टर विद्यमान है। प्रत्येक श्रेणी के लिए औद्योगिक क्षेत्र विशेष कार्रवाई विषयों का पता लगा लिया था और उन्हें विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श करने के पश्चात कार्यान्वित हेतु सूचीबद्ध कर लिया गया है।

9.78 औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के प्रति सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में निदेशन जारी करके तथा स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से उत्सर्जन एवं बहिस्राव मानकों का निरीक्षण एवं उनको लागू करवाना, विशिष्ट श्रेणी की विकास परियोजनाओं के लिए पूर्व में ही पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाना, औद्योगिक पुंजों में अवस्थित लघु औद्योगिक यूनिटों के लिए सीईटीपी की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान करना और प्रदूषण के उपशमन हेतु कार्रवाई योजनाएं तैयार करना शामिल हैं।

9.79 निर्दिष्ट क्षेत्रों/परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन पर आधारित विकास परियोजनाओं की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है। पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्रदान करने में अत्यधिक पारदर्शिता तथा व्यावसायिकता लाने के लिए जन सुनवाइयों के माध्यम से पणधारकों की भागीदारी सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2010 में मूल्यांकित की गई परियोजनाओं की स्थिति सारणी 9.18 में दर्शाई गई है।

श्रम संबंध

9.80 केंद्र और राज्यों, दोनों ही के औद्योगिक संबंधों के तंत्र के अनवरत प्रयासों के कारण औद्योगिक संबंधों का वातावरण सामान्यत: रूप से शांत और मैत्रीपूर्ण बना रहा। हड़तालों और तालाबंदियों की घटनाओं की संख्या ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या 2009 में 349 (अनन्तिम) से घटकर 2010 में 99 (अनन्तिम) रह गयी है। इसके तदनुरूप नष्ट हुए मानव-दिवसों की कुल संख्या भी 2009 में 9,169,037 से घटकर 2010 में 1,699,826 (अनन्तिम) रही (सारणी 9.19)।

9.81 जहां तक हड़तालों और तालाबंदियों की घटनाओं का स्थानिक/उद्योग-वार फैलाव का संबंध है, इनमें अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों के बीच अत्यधिक घटबढ़ दिखाई देती है। अधिकतम घटनाएं गुजरात राज्य में दर्ज की गई। इन हड़ताल और तालाबंदियों के मुख्य कारण मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिकों की संख्या, अनुशासनहीनता और हिंसा तथा वित्तीय अभाव थे।

सारणी: 9.19 : हड़तालें और तालाबंदियां (नष्ट हुए मानव-दिवस)

वर्ष	हड़तालें	तालाबंदियां	नष्ट हुए कुल मानव-दिवस
2005	227	229	2,96,64,999
2006	243	187	2,03,24,378
2007	210	179	2,71,66,752
2008(अ)	240	181	1,74,32,965
2009(अ)	157	192	91,69,037
2010(अ)	79	20	16,99,826

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय

सारणी: 9.18 : अप्रैल-नवम्बर, 2010 के दौरान मूल्यांकित परियोजनाएं

परियोजना की प्रकृति	स्वीकृति		लम्बित		अस्वीकृत/वापस की गई/लौटाई गई
	प.स्वी.	वि.वि.	प.स्वी.	वि.वि.	प.स्वी. वि.वि
1. उद्योग	150	288	104	172	85
2. तापीय विद्युत	32	71	23	90	33
3. नदी घाटी औन पन बिजली	07	24	10	10	01
4. खनन (कोयला और कोयला-भिन्न)	72	152	80	153	40
5. अवसंरचना, निर्माण और औद्योगिक सम्पदा	125	58	105	58	00
6. नाभिकीय	01	01	00	03	03
जोड़	**387**	**594**	**322**	**486**	**162**

स्रोत : पर्यावरण औन वन मंत्रलय

टिप्पणी : प.स्वी.- पर्यावरणीय स्वीकृति वि.वि.-विचारार्थ विषय

चुनौतियां और संभावनाएं

9.82 पिछले कुछ महीनों के आई आई पी डाटा पर गौर करने पर अल्पावधि में औद्योगिक क्षेत्र की संतुलित लेकिन प्रोत्साहनकारी दरों के बढ़ने की संभावना है। कम्पनियों की बिक्री में लगातार तेजी से उछाल, उद्योग को अपेक्षाकृत उच्चस्तरीय ऋण प्रवाह, सभी प्रमुख उद्योगों और राज्यों में निवेशों के बड़ी मात्रा होने की आशा, कुछ क्षेत्रों में त्वरित गति से विकास और अभी तक तीव्र गति से हुए वस्तुओं के निर्यात से संभावना है कि वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में औद्योगिक क्रियाकलाप उत्साहवर्धक रहेंगे। मध्यावधि से दीर्घावधि के दौरान क्षेत्र के उत्पाद विकास को दोहरे अंकों पर बनाए रखने और क्षेत्र की कमजोरियों को कम करने की दृष्टि से बहुपक्षीय सुधारों के दूसरे दौर में कदम रखने के लिए एक नीतिगत ढांचे को कार्यान्वित करने की जरूरत है।

9.83 औद्योगिक क्षेत्र में निवेशित होने वाले बैंक ऋण और गैर-बैंकिंग स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़े इस क्षेत्र में वर्धित निवेश क्रियाकलापों को सूचित करते हैं। अवसंरचना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त सकल बैंक ऋण में नवम्बर, 2010 में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान इसमें 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। साथ ही, चालू वर्ष के दौरान वित्तपोषण की बढ़ती हुई लागतें और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के इक्विटी अन्त: प्रवाहों की गति में आई मंदी चिन्ता का विषय बने हुए हैं। दीर्घ-कालिक विदेशी निवेश घरेलू निवेश्य निधियों की प्रतिपूर्ति करते हैं और नकदी की उस कमी को पूरा करते हैं जो समय-समय पर इस क्षेत्र पर दबाव बनाती है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसई को प्राप्त औद्योगिक ऋण में नवम्बर, 2010 में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सी कम है। मध्यावधि से दीर्घावधि स्थायी मजबूत विकास के लिए सामान्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में और विशेषरूप से एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाहों की उपलब्धता और सुगमता इसमें निर्णायक हैं। मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों की तुलना में एमएसई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता और कार्यशील पूंजी की ऋण लागत के अनुसार सापेक्षतया कम अनुकूल स्थान प्राप्त है। इस लगातार बने हुए पूर्वाग्रह को दूर करने की जरूरत है।

9.84 विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग का चालक होने के बावजूद भी यह सकल घरेलू उत्पाद में अपने हिस्से के अनुरूप समयान्तराल में काफी अधिक विकास नहीं कर सका है। विश्व के विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 1.4 प्रतिशत से भी कम है। विनिर्माण क्षेत्र का विकास रोजगार सृजन, घरेलू आपूर्ति में तेजी लाने, संसाधनों का उपयोग करने तथा निर्यातों के स्थायी विकास एवं मूल्य वर्धन में निर्णायक होता है। नई प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास तथा कौशल विकास की उपेक्षा ने विनिर्माण क्षेत्र में विकास को लगातार प्रभावी किया है। उच्च प्रौद्योगिकी आधार और कौशल युक्त मानवशक्ति वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निर्णायक होते हैं। आर्थिक दृष्टि से सफल होने वाली उभरती हुई अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए विनिर्माण का संवर्धन महत्वपूर्ण कारक रहा है। इन देशों में से दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देश केवल स्वदेशी प्रौद्योगिकी को समझने, कौशल और अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों के आधार पर ही प्रौद्योगिकीय दृष्टि से असाधारण स्वरूप प्राप्त कर सके हैं। इनमें चीन प्रौद्योगिकी विकास पर विशेष ध्यान देकर और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को संवर्धित करने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में तेजी लाकर विश्व के सबसे बड़े विनिर्माण आधार का निर्माण करने में अत्यधिक सफल रहा है। इन सभी देशों ने अपने एसएमई क्षेत्र को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने और प्रौद्योगिकी का चालक बनने में भी बहुत जोर दिया है। सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी विकास एवं कौशल में अनुसंधान तथा विकास में सरकारी निजी भागीदारी को बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।

9.85 अभी तक समग्र स्फीति की तुलना में विनिर्माण की स्फीति अनुकूल रही है। विनिर्मित उत्पादों की स्फीति दर बिंदु प्रति बिंदु आधार पर दिसम्बर 2010 महीने के लिए 4.46 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह 3.61 प्रतिशत थी। लेकिन, खनिजों, खनिज तेलों, विद्युत और अन्य मदों (कोयले के अतिरिक्त) की घरेलू कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतों में सख्ती के कारण आंशिक तौर पर बढ़ रही हैं। चिरस्थायी उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति भी औसत मजदूरी दरों में वृद्धि कर रही है जिसमें वस्त्रोद्योग तथा चमड़ा उद्योग आदि जैसे श्रम-सघनता वाले उद्योगों पर प्रभाव पड़ सकता है। अल्पावधि से दीर्घावधि में निविष्टियों की बढ़ती हुई लागतों से कुछ क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को क्षति पहुंच सकती है तथा घरेलू और विदेशी मांग भी निरुत्साहित हो सकती है।

9.86 कच्चा तेल, पेट्रोलियम शोधित उत्पादों कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात जैसे नामक छ: महत्वपूर्ण उद्योगों का समग्र उत्पादन इस वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक मामूली तौर पर बढ़ा है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में पूर्वानुमानित मांग को पूरा करने के लिए जरूरी अपेक्षित क्षमता निर्माण के अनुसार अभी भी उत्यधिक अन्तर विद्यमान है। कुछ एक महत्वपूर्ण उद्योगों में अभी तक महत्वपूर्ण क्षमता वर्धन नहीं हो पाया है। इसी प्रकार, भौतिक अवसंरचना क्षेत्रों में क्षमता वर्धन की धीमी गति भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास को संकुचित कर रही है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता वर्धन करके और अवसंरचना के गतिरोधों को दूर करके ही मध्यावधि से दीर्घावधि में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पाद में तेजी आएगी।